

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या- 176/20-21(VIII) / 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

नाम पानू उमर पिता-

गारागो उमर

साठ- गारागो

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- गारागो थाना नं०-
197 खाता नं०- 50 खेसरा नं०- 325, 343
रकबा- 8 शीठ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VIII के पंजी II भाग 1
के पृष्ठ 560 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न
में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमींदार रसीदों फार्म ड एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
बाह्य कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इससे सख्त ताकिद जानें।

6/9/20


अंचल अधिकारी
2019-2020

तिथि :-

स्थान :-

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख बाद संख्या- 176/20-21(VIII)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>याद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एउ कारवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापाक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-रह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि को कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में इत्कम राजस्व कर्मचारी एवं अ0मि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -</p> <p>मौजा- <u>जायसुहा</u> थाना नं- <u>177</u> खाता संख्या- <u>50</u> प्लॉट संख्या- <u>225, 343</u> रकबा- <u>80 5/8</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>560</u> पर जमाबंदी रैयत <u>पानु कुमार पिता गारागोा कुहार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>इत्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सँदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>इत्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोलकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशांसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करे।</p>	<p align="right">  अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </p>

अधिकाधिक उपलब्धता, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, विशिष्टता, विशिष्टता, जो जलवायु
विचार/जलवायु विचार के अभाव में इनका जलवायु से संबंधित किसी प्रकार का अनावश्यक
संबंधित नहीं किया गया और न ही जलवायु का ही जलवायु।

अतः एकरा जलवायु को अधिक मात्रा में रूप देने के लिए (अनुसंधान) जलवायु अनुसंधान अधिनियम
1986 की धारा 4(1) के अंतर्गत जलवायु को एक समान रूप में अनुसंधान की जाती है। अधिकतर
कार्यवाही में अधिनियम 1986 में जलवायु अनुसंधान अधिनियमों को संकेत।



अध्यक्ष अधिकाणी
संशोधन